पत्रांक 2175/धारा–57 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / 2009–10 / देहरादून

कार्यालयआयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉकः देहरादूनः 27 जुलाई 2009

प्रार्थना पत्र सं0 :– 678 दिनांक 1–5–09
सर्वश्री पारादीप फॉसफेटस लिमिटेड,
हल्द्वानी ।
निर्णय का दिनांक :– अगस्त–2009
प्रार्थी की ओर से – श्री पंकज सूरी असिस्टेंन्ट मैनेजर।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री पारादीप फॉसफेटस लिमिटेड, हल्द्वानी द्वारा Phospho-Gypsum पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 1–5–2009 को एक प्रार्थना पत्र देते हुये कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है ।

2– विभागीय मत ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर नैनीताल सम्भांग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया है कि Phospho-Gypsum मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 क एवं 2 ख (1) के खण्ड (अ) (आ) तथा (इ) की अनुसूची में सम्मिलित नही है। अतः इस पर धारा–4 की उपधारा 2 ख (1) के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी ।

3– सुनवाई की तिथि में श्री पकंज सूरी असिस्टेंन्ट मैनेजर (मार्केटिंग) सर्वश्री पारादीप फॉसफेटस उपस्थित हुये । उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में रखे गये तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि उ0 प्र0 राज्य द्वारा सभी तरह के Gypsum पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है ।

4– मेरे द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार किया गया, तथा अभिलेख देखे गये। निर्विवाद रुप से Phospho-Gypsum मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा 2(क) एवं 2 ख (1) के खण्ड (अ), (आ) तथा (इ) के साथ पठित अनुसूची में सम्मिलित नही है। अतः इस आइटम पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तुओ की भांति प्रत्येक बिन्दु पर बिक्री पर 12.5 प्रतिशत (R.N.R.) की दर से आकर्षित होगी।

5– आवेदन कर्ता के पूछे गये प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसारदिया जाता है। आदेश की प्रति अवेदनकर्ता एवं सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को भेजी जाये।

भवदीय,

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 2175 व दिनॉकः:उक्तः:
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून । 2

2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रुद्रपुर।

3– एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून ।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उधोग/व्यापार मण्डंल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी ।

6– ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।

7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

8– पोर्टल प्रबन्धक,उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रुडकी।

9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडन प्लाला बिल्डिगं अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद ।

11– नेशनल लॉ एण्डं मैनेजमेंन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद ।

12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।

27.08.

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय,देहरादून।